भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 3498
दिनांक 23 मार्च 2026

गुजरात के हजीरा में आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र की स्थापना

3498 # **श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकियाः**

क्या *पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात राज्य के हजीरा में प्रस्तावित आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र की स्थापना के संबंध में अब तक हुई प्रगति और इसकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस केंद्र के निर्माण और संचालन को पूर्ण करने की संभावित समय-सीमा क्या है;
(ग) क्या इस संबंध में गुजरात सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ कोई समन्वय/पत्राचार किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और कार्य में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक कदम क्या हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) वर्ष 2010 में एमबी लाल समिति की सिफारिश के अनुरूप हजीरा में ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) द्वारा एक आपातकालीन प्रतिक्रिया केन्द्र (ईआरसी) स्थापित किया जाना था। सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों, जिन्हें ईआरसी स्थापित करने का कार्य सौंपा गया था, ने तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक तकनीकी निदेशालय, की सुरक्षा परिषद को ईआरसी की संकल्पना से जुड़ी सीमाओं के बारे में बताया, क्योंकि इसी अवधि के दौरान तब से बेहतर और सस्ते विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। तदनुसार, विषय की पूरी जाँच करने और उपयुक्त कार्रवाई का सुझाव देने के लिए एक उद्योग समिति का गठन कर दिया गया था।

उद्योग समिति ने अपनी रिपोर्ट में ईआरसी के स्थान पर बेहतर अग्निशमन सुविधाएँ (ईएफ़एफ़एफ) स्थापित करने का सुझाव दिया है। उद्योग समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया और सुरक्षा परिषद ने विचार-विमर्श के बाद ईआरसी के स्थान पर ईएफ़एफ़एफ स्थापित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार और अनुमोदित कर दिया। इसके पश्चात, सरकार ने उद्योग समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।

भंडारण क्षमता के आधार पर ईएफ़एफ़एफ की स्थापना हेतु उत्पाद टर्मिनलों और कच्चे तेल के टर्मिनलों के प्राथमिकता वाले समूहों की पहचान की गई थी। हजीरा को प्राथमिकता वाले स्थान के रूप में प्रस्तावित नहीं किया गया है क्योंकि यह प्राथमिकता वाले समूह को परिभाषित करने के लिए समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरुप नहीं है।

*****